



पश्चिम मध्य रेलवे

कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक/DRM's Office

कार्मिक शाखा/Personnel Branch

जबलपुर/Jabalpur-482001

No. पमरे/का-जबल/राज/सी.एम.पी.

दि. 03.10.2018

पश्चिम मध्य रेलवे में संविदा चिकित्सकों की नियुक्ति

विषय:-	पश्चिम मध्य रेलवे में संविदा आधार पर सामान्य/विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार का आयोजन ।
संदर्भ:-	मुख्यालय पमरे जबलपुर का जेपीओ दिनांक 27.08.2015.

जबलपुर मंडल में संविदा आधार पर पूर्णकालिक सामान्य ड्यूटी एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों (General Duty & Specialist Medical Practitioner on Full time basis) की रिक्तियों को भरने हेतु साक्षात्कार (Walk-in-interview) का आयोजन किया जा रहा है। संविदा की अवधि एक वर्ष होगी। अतः वे भी साक्षात्कार में संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु आमंत्रित हैं। पात्र अभ्यर्थी निम्नानुसार दिये हुये तिथि, समय एवं स्थान पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे-

साक्षात्कार का स्थान	दिनांक	समय
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के कक्ष में रेलवे चिकित्सालय पमरे, जबलपुर	11.10.2018 (गुरुवार)	10.00 बजे

1 रिक्तियों के विरुद्ध: कुल - 02 (अनारक्षित - 02, अनुसूचित जाति - 00, अनुसूचित जनजाति - 00, अन्य पिछड़ा वर्ग - 00)

क्र.	चिकित्सालय का नाम	रिक्तियां	विशेषज्ञता
1.	मोबाईल मेडीकल वैन सतना- रीवा खंड हेतु	01	सामान्य ड्यूटी
2	हेल्थ यूनिट व्यौहारी	01	सामान्य ड्यूटी
	कुल	02	

2. पारिश्रमिक

- संविदा आधार पर नियुक्त चिकित्सक हेतु- पूर्णकालिक
- संविदा आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त रेलवे/शासकीय चिकित्सक हेतु- पूर्णकालिक
(परन्तु उन्हें मिलने वाला पारिश्रमिक और पेंशन का योग उनके अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा)

श्रेणी (Category of CMPs)	मासिक पारिश्रमिक Monthly remuneration (in Rupees)
GDMO	75,000/-
Specialist (1 st year)	95,000/-
Specialist (2 nd year)	1,05,000/-
Super Specialist	1,15,000/-

3. अन्य शर्तें :-

- प्रारंभ में CMP के तौर पर नियुक्त होते समय अधिकतम आयु 50 वर्ष की होनी चाहिए संविदा के तौर पर वार्षिक आधार पर अधिकतम बारह बार अथवा 60 वर्ष तक (इसमें से जो भी पहले हो) नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक टर्म/नियुक्ति (संविदा आधार पर) एक वर्ष से ज्यादा की नहीं होगी।
- सेवा निवृत्त रेलवे/अन्य शासकीय चिकित्सक की प्रथम बार CMP के तौर पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 65 होनी चाहिए। सेवानिवृत्त रेलवे/अन्य शासकीय चिकित्सक को अधिकतम 07 बार अथवा 67 वर्ष तक (इनमें से जो भी पहले हो) CMP के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है।
- चयनित उम्मीदवार का पदस्थ के समय नोटिफिकेशन के दिये गये स्थान को बदला जा सकता है।

4. सुविधाएँ

- प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट अवधि में सम्पूर्ण भारतीय रेल एवं कोंकण रेल पर एक सेट प्रथम श्रेणी/AC-II पूरक पास (One Set First Class/AC-II complimentary PASS) स्वयं+पति/पत्नी(spouse) एवं आश्रित संतान (नियमानुसार जो रेल सेवकों पर लागू है) के लिए तीन माह की नियमित संविदा सेवा के पश्चात् देय होगा।
- रेलवे आवास (उपलब्ध होने पर मकान किराया एवं लाइसेंस फीस की कटौती के उपरांत)

Note:- सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सक को बतौर संविदा चिकित्सक सुविधा पास /पीटीओ प्रदान नहीं किया जायेगा

उपर्युक्त शर्तें पूर्ण करने एवं आवश्यक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक, समय एवं स्थान पर उपस्थित हों। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जाति (आरक्षित समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए) मेडिकल काउंसिल में पंजीयन आदि प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक प्रमाण पत्र की एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं दो पासपोर्ट साइज़ फोटो लाना अनिवार्य है। साक्षात्कार के लिए अलग से कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी। विस्तृत नियम एवं शर्तें नीचे लिखे लिंक पर उपलब्ध हैं - <http://www.wcr.indianrailways.gov.in>.

3.10.18
(धर्मेन्द्र विके)
कृते.वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी/जबलपुर